कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव वन प्रभाग,बाराबंकी

पत्रांक4236 /14–4–4 दिनांक, बाराबंकी 14/02/ 2023

सेवा में,

Manger sales & and operations,
Reliance BP Mobility Ltd.
Vibhutikhand Gomtinagar
Lucknow.

विषयः– जनपद–बाराबंकी के अर्न्तगत मेसर्स रिलायन्स बी0पी0 मोबिलिटी लि0 लखनऊ द्वारा हैदरगढ– रामसनेहीघाट मार्ग (एम0डी0आर0–003सी) के किमी0 संख्या–09 (चैनेज संख्या–8.523) के मध्य बायीं पटरी गाटा संख्या–185 ग्राम–भीखरपुर, तहसील–रामसनेहीघाट, जिला–बाराबंकी में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0.487312 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 09 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी0/यू0पी0/06/293/2022/एफ0सी0/853 दिनॉक 23–01–2023 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक–2419/11–सी–FP/UP/ Approach/156909/2022 दिनॉक 30–01–2023।

महोदय

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जो इस कार्यालय के साथ आपको भी पृष्ठांकित है जिसमें भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज, लखनऊ द्वारा अपने पत्रांक–8बी0/यू0पी0/06/293/2022/एफ0सी0/853 दिनॉक 23–01–2023 से विषयक प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है।

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज, लखनऊ द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त संख्या–2, 3 व शर्त संख्या–4 के अनुपालन हेतु धनराशियों का आंकलन निम्नानुसार है :–

क्र0 सं0	शर्त संख्या	मद	धनराशि (रू0 में)	भुगतान किये जाने सम्बन्धी विवरण
1	2	3		5
1	2/3	975 पौधों के रोपण एवं 10 वर्ष अनुरक्षण हेतु आवश्यक धनराशि।	734424.00	प्रयोक्ता एजेन्सी के ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान सं
2	4	0.487312 संरक्षित वन भूमि का भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2011 FC(Vol-I) दिनॉक 06–01–2022 तथा पत्रांक संख्या–5–3/2011 FC(Vol-I) दिनॉक 22–03–2022 के अनुसार संशोधित (N.P.V.) शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि (रू0 9.57780 लाख प्रति हे0)।	466738.00	
		योग–	1201162.00	
				(रू0–बारह लाख एक हजार एक सौ बासठ मात्र)

अतः भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज, लखनऊ के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि कृपया आप सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त संख्या–02,03 के अनुपालन में 975 पौधों के रोपण हेतु धनराशि–रू0–734424.00 (रू0 सात लाख चौंतिस हजार चार सौ चौबिस मात्र) एवं शर्त संख्या–04 के अनुपालन में 0.487312 हे0 वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रू0–466738.00 (रू0 चार लाख छाछठ हजार सात सौ अड़तीस मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0–**1201162.00 (रू0–बारह लाख एक हजार एक सौ बासठ मात्र)** प्रयोक्ता एजेन्सी के ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से प्रतिपूर्ति पौधा रोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (कैम्पा फण्ड) में जमा करने का कष्ट करें तथा साथ ही भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज, लखनऊ द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक–23–01–2023 में उल्लिखित समस्त शर्त संख्या–1 से 19 तक की अनुपालन तथा आवश्यक प्रमाण पत्र, ई–चालान द्वारा जमा की गयी धनराशि की मूल प्रति तथा वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र पॉच–पॉच प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे विषयक प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकें।

निर्धारित प्रप्त्र

Conditions No.	Conditions	Status of compliance

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(रूस्तम परवेज)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बाराबंकी।

संख्या–4236 14–4–4, दिनांकित।

1– प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– प्रतिलिपिः–वन संरक्षक सरयू वृत्त उ0प्र0 अयोध्या को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रूस्तम परवेज)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव वन प्रभाग बाराबंकी।

दिनेश कुमार/–

Scanned with CamScanner